He Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

थाग II—खण्ड 3---उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

. II--- Section 5 -- Sub-Action (

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1466) नई दिल्ली, शनिबार, अक्तूर

No. 14661

नई दिल्ली, शनिबार, अक्तूबर 18, 2008/आश्विम 26, 1930 NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 2008/ASVINA 26, 1930

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 55 अक्तूबर, 2008

का.आ. 2479(अ). केन्द्रीय सरकार, मारतीय मुनर्वास परिषर् अधिनियम, 1992 (1992 का 34), की धरत 3 की उप-धरत (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शर्वितयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थमान्य परिषद् के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिमूचना सं. का.आ. 1102(अ) तारीख 21 अक्तूबर, 2002 में इस अधिमूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (2) से (29) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्निलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

"भारा ३ की उप-भारा (३) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त :

- (2) उप महानिदेशक या संयुक्त सचिव, —सः निःशक्तता प्रमाग, सःपाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
- (3) अपर महानिदेशक, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राख्य, नई दिल्ली ।

- (4) संयुक्त संचिव, —-सद्स् ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- (6) वैज्ञानिक 'जी', —सदस्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- (7) संयुक्त सचिव, सदस्य

 (माध्यमिक और उच्च शिक्षा विश्वाग),
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 नई दिल्ली ।
- (8) संयुक्त सचिव, सदस्य श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।

सदस्य

क्षारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त :

(9) पदेन-सचिव, —— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह अफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

भारत 3 की उप-भारत (3) के खण्ड (भ) के अभीन नियुक्त :

(10) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, सदस्य ची. रामलिंगस्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली के प्रतिनिधि

थारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (इ) के अधीन नियुक्त : •

- (1]) निर्देशक, सदस्य समाज कल्याण, समाज कल्याण विभाग, गोवा सरकार, पणजी ।
- (12) सचिव, —-सदस्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, गुजरात संस्कार, सरदार पटेल भवन, संचिवालय, गांधीनगर

भारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त :

- (13) श्रीमती येरीज एन. वाचा, सदस्य निदेशक, . हेलन केलर मूक बधिर संस्थान, 'एस' ब्रिज के गास, एन. एम. जोशी मार्ग, वाईकुला (पश्चिम), मुम्बई-400011
- (14) श्रीमती शिर्लीन स्वाखी, —सदस्य अध्यक्ष, बेथनी सोसाइटी, असई मिल, न्यू तुस, वेस्ट गरो हिल्स, मेघालय-794101
- (15) श्री महेन्द्र जी. मेहता, सदस्य न्यासी, रतना निधि धर्मार्थ न्यास,
 5वां तल, वसन्त विला, 31,
 डॉ. डी. डी. साठे मार्ग,
 मुम्बई-400004
- (16) डॉ. (श्रीमती) दिव्या जलान, —-सदस्य अध्यक्ष, एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इन्स्सूबन, 2, बलबीर सक्सेना मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016
- (18) डॉ. (श्रीमती) श्यामा छोता, —सदस्य संस्थापक, तमन्ता, प्रधान निवासी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर. के. पुरम, सेक्टर-12, नई दिल्ली-110022

थारा ३ की उप-थारा (३) के खण्ड (छ) के अधीन नियुक्त :

- (19) डॉ. योगेश कुमार त्रिखा, सदस्य
 52/115, भू-तल, चितरंजन पार्क,
 नई दिल्ली-110019
- (20) डॉ. कृपा राम आर्थ, सदस्य आर्थ इस्टेट, ऊचा चांगल राजमार्ग, मेहतपुर, जिला ऊचा, हिमाचल प्रदेश ।

- (21) डॉ. शिव प्रसाद गौतम, सदस्य जेड-23, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023
- (22) डॉ. अजीज मुखर्जी, —-सदस्य डी-817, न्यू फ्रेन्ड्स कालोगी, नई दिल्ली-110065

धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त :

- (23) प्रतिनिधि, सदस्य संसद् सदस्य (लोक सभा), नई दिल्ली ।
- (24) प्रतिनिधि, सदस्य संसद सदस्य (लोक सभा), नई दिल्ली।
- (25) प्रतिनिधि, सदस्य संसद् सदस्य (लोक सभा), नई दिल्ली।

ंधारा ३ की उप-सारा (३) के खण्ड (झ) के अधीन नियुक्त :

- (26) श्री सुरेश शर्मा, सदस्य 18/46 ई, बसन्त नगर, किशन गंज, दिल्ली-110007
- · (27) श्री सतनाम जीत सिंह, सदस्य बी-4, गीतांजली इन्क्लेब, नई दिल्ली-110017
 - (28) डॉ. के. रायर, सदस्य 379, जया इल्लाम, टीपीटीसी नगर, त्रिची मंत्र रोड, सलामेडू, विल्लुपुरम-605401 ।

धारा ३ की उप-धारा (३) के खण्ड (अ) के अधीन नियुक्त :

(29) सदस्य-सचिव, —सदस्य सचिव भारतीय पुनवांस परिषद्, (पदेन)'' बी-22, कृतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली-110016

[फा. सं. 25-11/2004-डी.डी.-]}[]

आर्शीष कुमार, उप महानिदेशक

टिप्पण: भारतीय पुनर्वास परिषद् पिछली बार अधिसूचना संख्या का.आ. 1102(अ) तारीख 21 अक्तूबर, 2002 द्वारा गठित की गई थी और उसमें का.आ. 693(अ) तारीख 13 जनू, 2003, का.आ. 1140(अ) तारीख 30 सितम्बर, 2003 और का.आ. 550(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2005 और का.आ. 975(अ) दिनांक 11 जुलाई, 2005 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2008

S.O. 2479(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints the following persons as members in the General Council of Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, number S.O. 1102 (E), dated the 21st October, 2002, with effect from the date of publication of this notification, namely:—

In the said notification, for serial numbers (2) to (29) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"Appointed under clause (b) of sub-section (3) of Section 3:

- (2) Deputy Director General or Joint Member Secretary, Disability Division, Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi
- (3) Additional Director General, —Member Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi
- (4) Joint Secretary, —Member Ministry of Rural Development, New Delhi
- (5) Financial Advisor,
 Ministry of Social Justice and
 Empowerment, New Delhi
- (6) Scientist 'G', —Member
 Ministry of Science and
 Technology, New Delhi

-Member

- (7) Joint Secretary (Secondary

 Education), Department of
 Secondary and Higher Education,
 Ministry of Human Resource
 Development, New Delhi
- (8) Joint Secretary, —Member
 Ministry of Labour and
 Employment, New Delhi

Appointed under clause (c) of sub-section (3) of Section 3:

(9) Officiating Secretary, —Member University Grants Commission (UGC), Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Appointed under clause (d) of sub-section (3) of Section 3:

(10) Representative of Indian Council ——Member of Medical Research (ICMR),
V. Ramalingaswami Bhavan,
Ansari Nagar, New Dethi

Appointed under clause (e) of sub-section (3) of Section 3:

- (11) Director, Social Welfare, —Member Social Welfare Department, Government of Goa, Panji
- (12) Secretary, —Member Social Justice and Empowerment Department, Government of Gujarat, Sardar Patel Bhavan, Sachivalaya, Gandhinagar

Appointed under clause (f) of sub-section (3) of Section 3:

- (13) Smt. Beroz N. Vacha, —Member Director,
 Helen Keller Institute for Deaf and Dumb, Near 'S' Bridge,
 N.M. Joshi Marg, Byculla (W),
 Mumbai-400011
- (14) Smt. Shirleen Sawkhie, —Member President, Bethany Society, Arai Mile, New Tura, West Garo Hills, Meghalaya-794101
- (15) Shri Mahendra G. Mehta, ——Member Trustee, Ratna Nidhi Charitable Trust, 5th Floor, Vasant Vilas, 31, Dr. D.D. Sathye Marg, Mumbai-400004
- (16) Dr. (Smt.) Divya Jalan, —Member Chairperson, Action for Ability
 Development and Inclusion (AADI),
 2, Balbir Saxena Marg, Hauz Khas,
 New Delhi-110016
- (17) Shri Sambhu Nath Das, ----Member Vill.+P.O. Kamarkundu, Distt. Hooghiy, West Bengal, PIN-712407
- (18) Dr. (Mrs.) Shyama Chona, —Member Founder, Tamanna, Principal Residence of Delhi Public School, R.K. Puram, Sector-12, New Delhi-110022

Appointed under clause (g) of sub-section (3) of Section 3:

---Member

- (19) Dr. Yogesh Kr. Trikha, 52/115, Ground Floor, Chitranjan Park, New Delhi-110019
- (20) Dr. Kripa Ram Arya, —Member Arya Estate, Una Nangal Highway, Mehtapur, Distt. Una, Himachal Pradesh
- (21) Dr. Shiv Prasad Gautam, Member Z-23, Sarojini Nagar, New Delhi-1 10023
- (22) Dr. Asis Mukerjee, —Member D-817, New Friends Colony, New Delhi-110065

Appointed under clause (h) of sub-section (3) of Section 3:

- (23) Representative, —Member Member of Parliament (House of People), New Delhi
- (24) Representative, —Member Member of Parliament (House of People), New Delhi
- (25) Representative, —Member Member of Parliament (Council of States), New Delhi

Appointed under clause (i) of sub-section (3) of Section 3:

- (26) Shri Suresh Sharma, —Member 18/46 E, Vasant Nagar, Kishan Gani, Delhi-110007
- (27) Shri.Satnam Jit Singh, —Member B-4, Geetanjali Enclaye, New Delhi-110017

(28) Dr. K. Rayar, —Member 379, Jeya Illam, TPTC Nagar, Trichy Main Road, Salamedu, Villupuram-60540)

Appointed under clause (j) of sub-section (3) of Section 3:

(29) Member Secretary, —Member-Secretary
Rehabilitation Council of (ex-officio)".
India (RCI), B-22, Qutub
Institutional Area,
Delhi-110016

[F. No. 25-13/2007-DD. III] ASHISH KUMAR, Dy. Director General

Note: The Rehabilitation Council of India was last constituted vide notification number S.O. 1102(E), dated 21st October, 2002 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 693(E), dated 13th June. 2003, S.O. 1140(E), dated 30th September, 2003, S.O. 550 (E), dated 15th April, 2005 and S.O. 975 (E), dated 11th July, 2005.